REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264442 CG-DL-E-07072025-264442

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2958] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947 No. 2958] NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

का.आ. 3025(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों, अर्थात्:-

- (क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद
- (ख) (i) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक;
 - (ii) प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद;
- (ग) प्रतिभूति पेपर मिल, होशंगाबाद;
- (घ) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास की सेवाएं; और
- (ङ) करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड

में लगी हुई सेवाओं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के क्रमश: मद 11, मद 12, मद 21, मद 22 और मद 25 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 518(अ), तारीख 29 जनवरी, 2025 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 30 जनवरी, 2025 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

4456 GI/2025

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योगों को लोक उपयोगी सेवा हेतु विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, की औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि लोक हित में विस्तार किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचना संख्या का. आ. 518 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2025 में विनिर्दिष्ट अवधि का 30 जुलाई, 2025 से छह मास की और अवधि के लिए विस्तार करती है, जिसके दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रमों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं होंगी।

[फा. सं. एस.-11017/02/2025-आईआर (पीएल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025

S.O. 3025(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance, namely: -

- (a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad;
- (b) (i) India Security Press, Nashik;
 - (ii) Security Printing Press, Hyderabad;
- (c) Security Paper Mill, Hoshangabad;
- (d) Services in the Bank Note Press, Dewas; and
- (e) Currency Note Press, Nashik Road,

which are respectively covered under items 11, 12, 21, 22 and 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30th January, 2025, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 518 (E), dated the 29th January, 2025;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial undertakings for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of1947), the Central Government, being of the opinion that in the public interest requires extension hereby extends the period specified in the notification number S.O. 518 (E), dated the 29th January, 2025 for a further period of six months from the 30th July, 2025 during which the services engaged in the said industrial undertakings to be public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/02/2025 -IR (PL)] AJOY SHARMA, Jt. Secy.